बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या – 15/औ0–04–01/13 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....

आयुर्वेदिक, युनानी एवं सिद्धा औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति के नवीकरण, नवीन अनुज्ञप्ति, दैनिक निरीक्षण एवं छापामारी कार्य बाधित न हो एतद् हेतु औषधि एवं अंगराग नियमावली 1945 के नियम 167(a) के आलोक में अहर्त्ता रखने वाले निम्नांकित औषधि निरीक्षकों को औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, जो औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 के अध्याय 4ए के तहत धारा 33जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगें।

I. श्री सत्य नारायण, औषधि निरीक्षक, नवादा – औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) दक्षिण बिहार का अतिरिक्त प्रभार।

II. श्री इन्द्रकान्त कुमार, औषधि निरीक्षक, पटना – 3 एवं 13 – औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) उत्तर बिहार का अतिरिक्त प्रभार।

2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक – 15/औ0–04–01/13 ....280(15)/स्वा0, पटना, दिनांक – 22/2/16

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आशुलिपिक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार / राज्य औषधि नियंत्रक के आप्त सचिव/सभी अनुज्ञापन प्राधिकारी, बिहार/सभी औषधि निरीक्षक, बिहार/सरकारी विश्लेषक बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार /प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/2

विशेष सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना